INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

उ.प्र. उप निरीक्षक

UPSI/PLATOON COMMANDER /PAC

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड

भाग – 4

संविधान + मूल विधि + उ. प्र. GK

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**उ. प्र. पुलिस SI (उप निरीक्षक)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को* उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड *द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**उ. प्र. पुलिस SI (उप निरीक्षक)/ Platoon Commander/PAC**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/001xtz

Online Order करें - https://shorturl.at/sxD46

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	भारतीय राजनीति विज्ञान	
1.	संविधान निर्माण	1
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएं	10
3.	संविधान संशोधन	15
4.	उद्धेशिका (प्रस्तावना)	22
5.	मौलिक अधिकार	29
6.	नीति निदेशक तत्व	38
7.	मूल कर्तव्य	43
8.	राष्ट्रपति	48
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	68
10.	भारतीय संसद	73
11.	केंद्र – राज्य संबंध	86
12.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुन्नाविलोकन	89
13.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद	105
14.	राज्य विधानमण्डल व विधानसभा	108
15.	निर्वाचन आयोग	113
16.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	117
17.	नीति आयोग	119
18.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	120

19.	संघ लोक सेवा आयोग	125
20.	लोकपाल	126
21.	केन्द्रीय सूचना आयोग	128
22.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	131
	<u>मूल विधि</u>	
1.	भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)	133
2.	महिला एवं बाल विकास संरक्षण	183
3.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	209
4.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम	218
5.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	229
6.	आयकर अधिनियम	240
7.	यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	250
8.	भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान	258
	उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान	271

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1. 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
2. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
3. 1833 का चार्टर अधिनियम
4. 1853 का चार्टर अधिनियम

a. भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।

b. महारानी एलिजावेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे ।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा **बंगाल के गवर्नर** को **'बंगाल का गवर्नर जनरल** कहा गया।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये ।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसका क्षेत्राधिकार कलकता था ।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया ।
- **बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।**
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश **'एलिजा इम्पे'** थे।
- भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था।
- इसके द्वारा पहली बार कम्पनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी।
- इसके तहत कम्पनी के कर्मचारियों को निजि व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेण्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इसने कम्पनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया।
- भारत में कम्पनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यो और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
- इसने निदेशक मंडल को कम्पनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक निकाय का गठन कर दिया, इस प्रकार, द्वैध शासन की व्यवस्था का आरम्भ किया गया।

चार्टर एक्ट, 1813 :-

- **अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ :**
- इस कानून ने भारत में कम्पनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कम्पनी के एकाधिकार को बहाल रखा ।
- इस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकार लोगों को, प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की इस अधिनियम ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की।
- इस कानून ने भारत को स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने **बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।**
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका सबंधी शक्ति से वंचित कर दिया ।
- **लार्ड विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।**
- चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कम्पनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जायेगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

1853 का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में अधिनियम अन्तिम था।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया ।
- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।
- **इसने पहली बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया ।**

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

- 1858 का भारत शासन अधिनियम ।
- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद् अधिनियम ।
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1858 का भारत शासन अधिनियम

- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को समाप्त कर दिया ।
- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया ।

- **गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया।**
- **लार्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।**
- एक नए पद '**भारत के राज्य सचिव**' का सृजन किया गया।
- इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी।
- भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद् का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद् थी।
- ब्रिटिश क्राउन (महारानी विक्टोरिया) → भारत सचिव (ब्रिटेन में) → गवर्नर जनरल (भारत में)
- 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इग्लैण्ड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था।

1861 के भारत परिषद् अधिनियम

- 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया।
- इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।
- बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।
- इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
- इस अधिनियम ने लार्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली 'को भी मान्यता दी।
- इस अधिनियम के तहत् वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छह माह होती थी।

1892 का अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदो में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- इसने विधान परिषदो के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया।

1909 के अधिनियम

- **इस अधिनियम को मार्ले मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है।**
- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चाओं का दायरा बढ़ाया।
- **सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने।**
- इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर **मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।**
- इस अधिनियम ने पृथक् निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लार्ड मिन्टों को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।

भारत शासन अधिनियम 1919

- इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया –

हस्तान्तरित और आरक्षित।

- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की। प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य आम जनता द्वारा सीधे मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनने से है।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है।
- इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया।
- इस कानून की 'मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है ('मॉण्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराम थे।
- इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक् निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया।
- इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार प्रदान किया।
- इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

साइमन आयोग :- 1927

- नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की।
- इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया।
- आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की।

साम्प्रदायिक अवार्ड :- (1932)

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की इसे कम्यूनल अवार्ड या साम्प्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिमों, सिक्ख, ईसाई, यूरोपियों आंग्ल भारतीयों के लिए अलग-अलग निर्वाचन

व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गाँधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारम्भ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिन्दू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए।

भारत सरकार अधिनियम 1935

- **इसमें 321 धारा व 10 अनुसूचियां** थी।
- इसने **अखिल भारतीय संघ की स्थापना की**
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच **तीन सूचियों संघीय सूची** (59 विषय), **राज्य सूची** (54 विषय), और **समवर्ती सूची (** दोनो के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बटवारा किया
- संघ सूची – ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र कानून बना सकता है ।
- राज्य सूची –ऐसे विषय जिनपर केवल राज्य कानून बना सकते है ।
- समवर्ती सूची –ऐसे विषय जिनपर केन्द्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं ।
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया ।
- **इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई ।**
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ।
- यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन हो एक मील का पत्थर साबित हुआ।
- इस अधिनियम ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की।
- इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- **इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।**
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

अंतरिम सरकार		
जवाहर लाल नेहरू	-	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
सरदार वल्लभभाई पटेल	-	गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	-	खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई	-	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम	-	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	-	रक्षा
सी. एच. भाभा	-	कार्य, खान एवं उर्जा
लियाकत अली खां	-	वित्त
अब्दुर रब निश्तार	-	डाक एवं वायु
आसफ अली	-	रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी	-	शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर	-	वाणिज्य
गजनफर अली खान	-	स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल	-	विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	- प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलों
सरदार वल्लभभाई पटेल	- गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	- खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	- शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	- रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	- वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	- विधि
जगजीवन राम	- श्रम
सरदार बलदेव सिंह	- रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	- स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	- वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	- संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	- उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	- कार्य, खान एवं ऊर्जा

अध्याय – 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित** प्रावधान है।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती हैं।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती हैं और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

- संविधान के भाग - 3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित ' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया हैं।
- मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं,
- ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं : संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न की व्यक्तियों की।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) **मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।**

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित हैं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित हैं।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये है। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक है।

(5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते है और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नही कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढ़ाचे में परिवर्तन कर सके । (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

राज्य की परिभाषा :-

- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य ' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनु. 12 में भाग - 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है :-

(अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत सरकार ।

(ब) राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य सरकार ।

(स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।

(द) अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे - एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आदि।

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है

कूट -

a. केवल A सही है।

b. केवल B सही है।

c. (A) एवं (B) दोनों सत्य है।

d. (A) एवं (B) दोनों गलत है।

उत्तर – c

मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ :-

- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32) और उच्च न्यायलयों (अनु. 226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर - संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं ।

अनु. 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है :-

(अ) स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(ब) अस्थायी विधियाँ, जैसे - राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश ।

(स) प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे - अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना आदि।

मौलिक अधिकारों की आलोचना –

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।

(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर है।

(3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।

(4) **आपातकाल के समय इनका निलबन हो जाता है।**

Note- अनुच्छेद – 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ।

(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।

(6) **संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमे कमी कर सकती है।**

(7) मौलिक अधिकारों के संबंध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रकिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	**अनु. 13**
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii)स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी (iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाए जो राज्य के लिए कार्य करती हो	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी । **विधि** (i) स्थाई विधि – संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित (ii) अस्थाई विधि – जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें । (iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

a. देश के किसी भाग में बसने का अधिकार

b. लिंग समानता का अधिकार

c. सूचना का अधिकार

d. शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर – c

(1) **समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)**

विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान हैं । **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से** प्रभावित हैं । विधी के समक्ष समता से आशय हैं, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नही होगा।

विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताए होती हैं

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गेर सरकारी संगठन) विधी से ऊपर नही होगा ।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेंगा।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकद्मा नही चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता हैं तो उसे दोषी नही माना जायेगा ।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे – UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे ।

- विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देंन हैं ।
- **विधियों के सामान संरक्षण से आशय हैं । "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"**
- इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नही होता ।
- भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओ के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं ।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नही किया जायेगा ।
- इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओ, तालाबो, स्नानघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नही जायेगा।
- इसमें यह भी प्रावधान हैं कि राज्य महिलाओ एवं बच्चो के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता हैं ।
- इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्य SC,ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता हैं।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता है।

लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता (अनु. -16)

- अनु. 16 में यह प्रावधान कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- लेकिन निम्नलिखित मामलो में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है –

(1) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों को विशेषाधिकर प्रदान किए गए है।

(2) किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।

(3) विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा कुछ राज्यों में महिलाओ के संबंध में विशेष प्रावधान है।

अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनु.-17)

- संविधान के अनु. 17 में यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता_को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध होगा। इसके संबंध में दंड वह होगा जो संसद विधी द्वारा निर्धारित हो। संविधान में अस्पर्शता के संबंध में विशेष व्यवस्था नही की गई।
- अतः संसद के द्वारा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम-1955 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिकार के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलापों को अपराध माना गया –

a. सार्वजानिक पूजा स्थलों में प्रवेश से रोकना।
b. किसी भी तरीके से अस्पृश्यता का बचाव करना।
c. सार्वजनिक स्थल जैसे - दुकान, होटल, मनोरंजन के साधन आदि के उपभोग से रोकना।
d. सार्वजनिक संस्थान जैसे – शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय आदि में प्रवेश से वंचित करना।
e. अनुसूचित जाति का जातिसूचक शब्द के माध्यम से अपमान करना।
f. किसी व्यक्ति को कोई सेवा अथवा वस्तु देने से इंकार करना।

- उपर्युक्त नियम राज्य एवं व्यक्ति दोनों से सम्बंधित हैं । अर्थात् न तो राज्य के द्वारा और ना ही व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जायेगा ।
- उपर्युक्त कानून के संबंध में राज्य का यह कर्तव्य हैं कि वह लोगों को इस संबंध में सुरक्षा प्रदान करे।

उपाधियों का अंत (अनु. 18)-

संविधान के अनु. 18 में उपाधियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है –

(a) राज्य सेवा एवं विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नही करेगा ।

(b) भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नही करेगा।

(c) यदि कोई विदेशी नागरिक राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत हैं तो उसे विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

(d) राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार अथवा उपलब्धी प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

❖ **1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पद्म पुरस्कार उपाधि नही हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति इनका प्रयोग अपने नाम में उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में नही कर सकता।**

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार

अनु. 19 (1) में प्रावधान हैं कि राज्य अपने नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताए प्रदान करता है -

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- (अनु. 19(1) A)

इसके अन्तर्गत बोलने एवं किसी भी रूप में अपने विचारो को अभिव्यक्त करना शामिल हैं। जैसे –

(a) सरकार के कार्यों की प्रसंशा करना ।
(b) सरकार के कार्यों की आलोचना करना ।
(c) समाचार पत्र का प्रकाशन करना।
(d) दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रिकाएं निकालना।
(e) न्यूज चैनल चलाना।
(f) फिल्म का प्रसारण करना ।
(g) अपने उत्पाद का विज्ञापन करना ।
(h) किसी प्रकार के राजनीतिक बंद अथवा किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद का विरोध करना ।
(i) सोशल मीडिया।

- लेकिन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष स्वतंत्रता नही हैं। इस पर आवश्यकता के अनुसार युक्ति युक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

जैसे-
(i) भारत की एकता एक संप्रभूता ।
(ii) राजा की सुरक्षा।
(iii) विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत् संबंध ।
(iv) समाचार से संबंधित नियम।
(v) लोक व्यवस्था।
(vi) न्यायालय की अवमानना ।
(vii) किसी अपराध के लिए उकसाना।

शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)B) :-

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतीपूर्ण तरीके से संगठित होने व सम्मेलन करने का अधिकार है।
- इसके तहत नागरिक सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं और बैठको में भाग ले सकते हैं।
- लेकिन किसी निजी स्थल पर सम्मेलन का अधिकार नहीं है।

लेकिन निम्न आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
(i) भारत की एकता व अखंडता।
(ii) लोक व्यवस्था।

- आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत दंडाधिकारी लोगो को इकट्ठा होने से रोक सकता है। और पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

संगम या संघ बनाने का अधिकार –

- नागरिको को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का संघ अथवा सहकारी समिती बना सकता है।
- इसमें राजनीतिक दल, कम्पनी, साझा क्लब, व्यापार संगठन आदि का निर्माण कर सकते है। और अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते है ।
- लेकिन संघ बनाने के इस अधिकार पर भी निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं –

(a) भारत की एकता व सम्प्रभुता ।
(b) लोक व्यवस्था ।
(c) सदाचार अथवा नैतिकता ।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार के अधीन कार्यरत श्रम संगठनों को हड़ताल करने एवं कार्य रोकने का अधिकार नही है। सरकार चाहे तो ऐसे मामलों को औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित कर सकती हैं। और कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर सकता है।

भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)d) :-

- इसके तहत नागरिक को अधिकार हैं कि वह भारत के किसी भी भू-भाग में अर्थात् एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम सकता है। अथवा संचरण कर सकता हैं ।
- **यह अधिकार व्यावहारिक रूप में राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढावा देता हैं ।**
- एक राज्य के निवासी को दुसरे राज्य में संचरण करने का अधिकार देने से नागरिकों के अन्दर भारतीयता की भावना उत्पन्न होती हैं ।

इस अधिकार पर निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं –

(i) अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों को संरक्षण
(ii) लोक व्यवस्था - इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर वैश्यावृति में लिप्त, व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

- इसी के संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय हैं कि स्वास्थ्य के आधार पर एड्स से पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर रोक लगाई जा सकती है।

भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता:

- देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बस सकता हैं ।
- वह मौलिक अधिकार देश के किसी भी क्षेत्र में बसने से सम्बंधित अवरोधों को समाप्त करता है लेकिन किसी विशेष समुदाय अथवा जनजातियो के संरक्षण अथवा कला संस्कृति के संरक्षण के आधार पर इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।
- पेशेवर अपराधी एवं वैश्यावृति के मामलों में भी इस पर रोक लगाई जा सकती है।

किसी भी प्रकार के व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनु.19(1)G)

सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना सकते हैं। लेकिन निम्नलिखित मामलो में इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जासकती।
- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है- (i) उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। (ii) सुचना में पक्षकारको अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति इत्यादि का विवरण देना होता है।

अध्याय – 13

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है । वह राज्य विधानसभा का नेता होता है । राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है । वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टो हेड होता है ।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत की जाती है ।
- सामान्यत , राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है । लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है , उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है ।
- राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो ।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति , राष्ट्रपति करता है । वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है ।

- **अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है । राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है ।

अनुच्छेद 164 (4) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है । जैसे— (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है । 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है । मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह

(i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

(ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है ।

- **अनुच्छेद 164 (5)** मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल ।
- अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ।
- मुख्यमंत्री , मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है । मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है ।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।

NOTE- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है ।

- वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है ।
- मुख्यमंत्री , राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है ।

अनुच्छेद 164 (1) क - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया । इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे ।

राज्यपाल के संदर्भ में

अनुच्छेद 167- इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्त्तव्यों का उल्लेख मिलता है ।

(i) वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें।

(ii) राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँगे जाने पर सूचना प्रदान करना।

(iii) यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद् विचार नहीं किया है ।

NOTE- राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्था जैसे:- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद-165), राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए) तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद-316) राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA- नगर निकायों के लिए) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह (विशेषतया मुख्यमंत्री) की जाती है।

राज्य विधानमण्डल के संबंध में

- मुख्यमंत्री , राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है ।
- मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है ।
- मुख्यमंत्री , राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है ।

राज्य मंत्रिपरिषद्

- **अनुच्छेद 163** के अनुसार राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है । राज्यपाल अपने स्वविवेक शक्तियों के अलावा सभी कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है ।
- **NOTE - राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् का परामर्श मानना अनिवार्य है । परामर्श को एक बार भी पुनः विचार हेतु नहीं भेज सकता ।**

  NOTE – मंत्रिपरिषद् ने राज्यपाल को क्या सलाह दी इसकी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती ।

<u>**अनुच्छेद 164** मंत्रियों से संबंधित प्रावधान</u>

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करता है ।
- **91 वें संविधान संशोधन (2003) के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15 % से अधिक नहीं होगी लेकिन न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री समेत 12 से कम नहीं होनी चाहिए ।**
- अनुच्छेद 164 के अनुसार **मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड** एवं **ओडिशा** राज्यों में एक जनजातिय मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है । यह जनजातिय मंत्री अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण से संबंधित कार्य करता है । मूल संविधान यहाँ बिहार राज्य का भी उल्लेख था । लेकिन 94 वें संविधान संशोधन द्वारा 2008 में इस अनुच्छेद से बिहार शब्द को हटाकर छतीसगढ़ व झारखण्ड शब्द जोड़े गए ।
- **अनुच्छेद 164 (3)** राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते है । (अनुसूची -3 के प्रारूप के अनुसार)

- **अनुच्छेद 164 (2) स्पष्ट करता है** कि मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा।
- **अनुच्छेद 164 (4)** मंत्रियों की योग्यता
- (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।
- **NOTE-कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा । मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है ।**
- **अनुच्छेद 164 (5)** मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।
- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं ।
- **अनुच्छेद 177** में यह उल्लिखित है कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है । लेकिन मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य है ।

मंत्रिपरिषद् का गठन

मंत्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री , राज्य मंत्री व उपमंत्री ।

1. **कैबिनेट मंत्री :-** यह मंत्रिपरिषद् का छोटा - सा भाग होता है । यह सभी अपने - अपने विभागों के मुखिया होते हैं । इनके पास राज्य के महत्त्वपूर्ण विभाग गृह , वित्त कृषि, उद्योग आदि होते हैं ।
2. **राज्यमंत्री : -** राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबद्ध किया जा सकता है ।
3. **उपमंत्री : -** इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है ।

NOTE : - मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है , जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है । वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं । इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है । इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है , इन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है । यह मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं होते हैं । मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं । यह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं । मुख्यमंत्री इन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं ।

मंत्रिपरिषद्	**मंत्रिमण्डल**
मंत्रिपरिषद् का आकार बड़ा होता	मंत्रीमण्डल मंत्रिमण्डल का आकार छोटा होता है ।
मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट , राज्यमंत्री व उपमंत्री स्तर के मंत्री होते हैं ।	मंत्रिमण्डल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं ।
मंत्रिपरिषद् मंत्रिमण्डल के निर्णयों को लागू करती हैं ।	यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है ।
यह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ।	यह मंत्रिपरिषद् की विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है ।

मंत्रियों के उत्तरदायित्व

मंत्रियों के उत्तरदायित्व	
सामूहिक उत्तरदायित्व	**अनुच्छेद 164 (2) स्पष्ट करता है** कि मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा । यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद् के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है ।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है । मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है । **अनुच्छेद 164 (1) के तहत** राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है ।
विधिक उत्तरदायित्व	कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं हैं ।

मंत्रिपरिषद् के प्रमुख कार्य-

- मंत्रिपरिषद् राज्य के प्रशासन के संचालन के लिये विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है ।
- मंत्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक , आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिये विकासकारी योजनाएँ बनाती है ।
- मंत्रिपरिषद् विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है ।
- बजट तैयार करना व स्वीकृत करना
- राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना
- कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण
- राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण राज्य के प्रशासन का संचालन (उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना)

मूल विधि

अध्याय – I

भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इस संहिता को 164 वर्ष पुरानी भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किया गया था। IPC का प्राथमिक उद्देश्य भारत पर शासन करना और नियंत्रण बनाए रखना था, जिसकी प्रणाली मुख्य रूप से दंडात्मक और प्रतिशोधात्मक सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके विपरीत, BNS का उद्देश्य एक आधुनिक, न्याय-केंद्रित और राष्ट्र-प्रथम दृष्टिकोण स्थापित करना है, जो पिछली शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों को आत्मसात कर सके। यह औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर एक ऐसे कानूनी ढांचे की ओर बढ़ने का एक निर्णायक कदम है जो नागरिकों के अधिकारों और न्याय की अवधारणा को केंद्र में रखता है।

कानून की प्रमुख तिथियां –

भारतीय न्याय संहिता के सफर में कई महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं:

- ***11 अगस्त 2023:*** *भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया, जिसे आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार माना गया।*
- ***12 दिसंबर 2023:*** *मूल विधेयक को वापस ले लिया गया और उसी दिन, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया।*
- ***20-21 दिसंबर 2023:*** *भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया।*
- ***25 दिसंबर 2023:*** *विधेयक को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया।*
- ***1 जुलाई 2024:*** *भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के साथ, कुछ अपवादों को छोड़कर, पूरे देश में लागू हो गई।*

IPC और BNS के बीच तुलना

- ***धाराओं में बदलाव:*** *IPC में 511 धाराएं थीं, जबकि BNS में 358 धाराएं हैं।*
- ***नए अपराध:*** *BNS में 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जबकि IPC के 19 प्रावधानों को हटाया गया है।*
- ***सजा और जुर्माना:*** *33 अपराधों के लिए सजा बढ़ाई गई है और 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है।*
- ***संरचना:*** *बिखरे हुए प्रावधानों को एक अध्याय में समेकित किया गया है ताकि कानून को समझना आसान हो।*

प्रमुख प्रावधान –

- ***राजद्रोह कानून का निरसन:*** *IPC की धारा 124ए (राजद्रोह) को निरस्त कर दिया गया है।*
  - *इसके स्थान पर BNS की **धारा 152** को जोड़ा गया है, जो **भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों** को दंडनीय बनाती है।*
- ***सामुदायिक सेवा:*** *यह एक नया दंड है, जो पहली बार पेश किया गया है।*
  - *इसका उद्देश्य अपराधियों का सुधार और समाज में उनका पुनर्एकीकरण है, साथ ही जेलों में भीड़ कम करना भी है।*
  - *यह छोटे अपराधों पर लागू होता है, जैसे:*
    - *₹5000 से कम मूल्य की चोरी (पहली बार अपराध करने पर)।*
    - *नशे की हालत में सार्वजनिक कदाचार।*
    - *मानहानि।*
    - *लोक सेवक द्वारा अवैध व्यापार में संलग्न होना।*

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान:

- *महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अलग अध्याय में प्राथमिकता दी गई है।*
- ***बलात्कार:*** *न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल की गई।*
- ***नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार:*** *इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है।*
- ***धोखे से शादी का वादा:*** *BNS की **धारा 69** के तहत, शादी का झूठा वादा या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना एक नया अपराध है। इसके लिए 10 साल तक की कैद हो सकती है।*

- ***मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या):***
  - *BNS की **धारा 103(2)** के तहत मॉब लिंचिंग को एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।*
  - *यदि पाँच या अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करता है, तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा।*
  - *इस अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।*

- ***संगठित अपराध और आतंकवाद:***
  - *BNS की **धारा 111** (संगठित अपराध) और **धारा 113** (आतंकवाद) के तहत इन अपराधों को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।*

	341. (1) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति तैयार करता है कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 338 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दण्डनीय होगा। (2) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति करता है, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो धारा 338 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपटपूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रुप में उपयोग करता है, उसी रीति में दंड़नीय होगा, जैसे मानो उसने इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण का निर्माण या उसे कूटकृत किया हो।
358	निरसन और व्यावृत्ति । **358.** (1) भारतीय दंड संहिता का इसके द्वारा निरसन किया जाता है। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संहिता के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा,- (क) ऐसी निरसित संहिता के पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात; या (ख) ऐसी निरसित संहिता के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व; या (ग) ऐसी निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में उपगत कोई शास्ति, या दंड ; या (घ) ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण या उपचार; या (ङ) पूर्वोक्त ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, अन्वेषण या उपचार और ऐसी कोई कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या प्रवृत्त हो सकेगा और ऐसी किसी शास्ति का अधिरोपण इस प्रकार किया जा सकेगा, मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया है। (3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्तच संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। (4) निरसन के प्रभाव के संबंध में, उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

अनुलग्नक 2

सजा और अपराध की प्रकृति के साथ बीएनएस की आईपीसी से संबंधित धाराएं

बीएनएस में धारा	**बीएनएस में शीर्षक और अध्याय**	**आईपीसी में संबंधित धारा**
	अध्याय 1 प्रारंभिक	
Sec.1 (1) to (6)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।	Sec.1 Sec 5
Sec.2 (1) to (39)	परिभाषाएं।	Sec.6-to 52 A*
New	(3) "शिशु"	

Sec.3 (1) to (9)	साधारण स्पष्टीकरण	Sec.6, Sec.7, Sec.27, Sec.32, Sec. 34, Sec.35 to Sec.38*

अध्याय 2 दण्डों के विषय में		
बीएनएस में धारा	**बीएनएस में शीर्षक और अध्याय**	**आईपीसी में संबंधित धारा**
Sec.4	दण्ड । (च) सामुदायिक सेवा (नया जोड़)	Sec.53*
Sec.5	दण्डादेश का लघुकरण ।	Sec.54-Sec 55A
Sec.6	दण्डावधियों की भिन्नें । दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा।	Sec.57*
Sec.7	दंडादेश (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा	Sec.60
Sec.8(1)to(7)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व	Sec.63- Sec.70*
Sec.9(1)to(2)	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।	Sec.71
Sec.10	कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है।	Sec.72
Sec.11	एकांत परिरोध ।	Sec.73
Sec.12	एकांत परिरोध की अवधि ।	Sec.74
Sec.13	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।	Sec.75

अध्याय 3 साधारण अपवाद		
बीएनएस में धारा	**बीएनएस में शीर्षक और अध्याय**	**आईपीसी में संबंधित धारा**
Sec.14	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	Sec. 76
Sec.15	न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य।	Sec.77
Sec.16	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।	Sec.78
Sec.17	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	Sec.79
Sec.18	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।	Sec.80
Sec.19	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।	Sec.81
Sec.20	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।	Sec.82
Sec.21	सात वर्ष से ऊपर, किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।	Sec.83

Sec.22	विकृत्तचित्त व्यक्ति का कार्य ।	Sec.84
Sec.23	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।	Sec.85
Sec.24	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।	Sec.86
Sec.25	सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।	Sec.87
Sec.26	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।	Sec.88
Sec.27	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत्तचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।	Sec. 89*
Sec.28	सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।	Sec.90*
Sec.29	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं।	Sec.91
Sec.30	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।	Sec.92
Sec.31	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना ।	Sec.93
Sec.32	वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।	Sec.94
Sec.33	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य।	Sec.95
	प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में	
Sec.34	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।	Sec.96
Sec.35	शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।	Sec.97
Sec.36	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत्तचित्त, आदि हो।	Sec.98
Sec.37	कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।	Sec.99
Sec.38	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।	Sec. 100
Sec.39	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।	Sec. 101
Sec.40	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना।	Sec. 102
Sec.41	कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।	Sec.103*
Sec.42	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।	Sec. 104
Sec.43	सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना।	Sec. 105
Sec.44	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है।	Sec. 106

अध्याय 4

दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में दुष्प्रेरण के विषय में

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.45	किसी बात का दुष्प्रेरण।	Sec.107

Sec.46	दुष्प्रेरक ।	Sec.108
Sec.47	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।	Sec. 108A
Sec.48	भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण।	
Sec.49	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है।	Sec.109
Sec.50	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।	Sec.110
Sec.51	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।	Sec.111
Sec.52	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है।	Sec. 112
Sec.53	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो।	Sec.113
Sec. 54	अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति ।	Sec 114
Sec. 55	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।	Sec. 115
Sec. 56	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।	Sec. 116
Sec. 57	जनसाधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।	Sec. 117
Sec. 58	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।	Sec. 118
Sec. 59	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।	Sec. 119
Sec. 60	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना ।	Sec. 120
	आपराधिक षड्यंत्र के विषय में	
Sec.61	आपराधिक षड्यंत्र ।	Sec.120A-Sec.120B
	प्रयत्न के विषय में	
Sec.62	आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड।	Sec.511

अध्याय 5

महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में लैंगिक अपराधों के विषय में

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.63	बलात्संग।	Sec.375*
Sec.64	बलात्संग के लिए दंड।	Sec.376(1), (2)*
Sec.65	कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड।	
	(1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है	Sec.376(3)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इस संहिता का प्राथमिक लक्ष्य औपनिवेशिक युग की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित करना और एक न्याय-केंद्रित, नागरिक-हितैषी तथा तकनीक-एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करना है। BNSS में CrPC की 484 धाराओं की तुलना में 531 धाराएं हैं, जो प्रक्रियात्मक दक्षता को बढ़ाने, पीड़ितों के अधिकारों को सशक्त करने और कानूनी कार्यवाही में प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर जोर देती है। इस संहिता में ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर का स्पष्ट प्रावधान, डिजिटल साक्ष्य को कानूनी मान्यता, और गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करना जैसे महत्वपूर्ण नवाचार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें "ट्रायल इन एब्सेंटिया" (अनुपस्थिति में मुकदमा) और विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में नए प्रावधान भी पेश किए गए हैं।

हालांकि, यह महत्वाकांक्षी सुधार अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि BNSS के कुछ प्रावधान, जैसे कि पुलिस हिरासत की अवधि और हथकड़ी के उपयोग से संबंधित नियम, संवैधानिक अधिकारों और न्यायपालिका के निर्देशों के साथ संभावित टकराव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, इसकी सफलता काफी हद तक कानूनी और पुलिसिंग के बुनियादी ढांचे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के आधुनिकीकरण पर निर्भर करेगी। यह रिपोर्ट BNSS के मुख्य परिवर्तनों, उनके निहितार्थों और सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदमों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

परिचय: आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कानून, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973, अपनी उत्पत्ति औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित एक कानून से प्राप्त करता है, जिसका पहला संस्करण 1861 में स्थापित किया गया था । समय के साथ, इस संहिता को कई बार संशोधित किया गया, जैसे 1973 में मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करना और 2005 में प्ली बार्गेनिंग जैसे प्रावधानों को जोड़ना । हालांकि, वर्षों के दौरान, भारतीय अदालतों ने इसे विभिन्न फैसलों के माध्यम से लागू और संशोधित किया, फिर भी प्रणाली मामले के बैकलॉग, मुकदमे में देरी, और हाशिए के समूहों के प्रति संवेदनशीलता की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करती रही । इस संदर्भ में, BNSS को इन समस्याओं को दूर करने और भारत की कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक सुधार के रूप में पेश किया गया था । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय प्रणाली आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके।

BNSS का दर्शन और उद्देश्य

- BNSS का दर्शन 'दण्ड' के बजाय 'न्याय' पर केंद्रित है ।
- यह एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक सुलभ बनाना है ।
- यह कानून प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर दक्षता और पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रावधान शामिल हैं ।
- BNSS को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के साथ पेश किया गया था, और इसके अधिकांश प्रावधान 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं ।

BNSS की संरचना और CrPC से तुलना

संरचनात्मक और दार्शनिक अंतर

- **धाराओं में बदलाव:** CrPC में 37 अध्याय और 484 धाराएं थीं, जबकि BNSS में 39 अध्याय और 531 धाराएं हैं ।
- **पुनर्गठन:** इसमें 11 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 85 मौजूदा धाराओं में संशोधन किया गया है ।
- **नामकरण:** CrPC के "कोड" को BNSS के "संहिता" में बदलकर कानून को एक "भारतीयकृत" रूप दिया गया है ।
- **दार्शनिक रूप से:** जहाँ CrPC काफी हद तक दंडात्मक था, BNSS का उद्देश्य आधुनिक अपराधों, जैसे साइबर अपराध और संगठित अपराध के लिए स्पष्ट और व्यापक परिभाषाएं और दंड प्रदान करना है ।

BNSS और CrPC के बीच प्रमुख प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों की तुलना

विशेषता	CrPC (1973)	BNSS (2023)	मुख्य परिवर्तन
अध्यायों की संख्या	37	39	**वृद्धि और पुनर्गठन**
धाराओं की संख्या	484	531	**वृद्धि और समेकन**
जीरो एफआईआर	स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं	स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध	**पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण**
ई-एफआईआर और इलेक्ट्रॉनिक मोड	कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं	इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, समन, और आरोप-पत्र का प्रावधान	**डिजिटल प्रक्रियाओं पर जोर**

विशेषता	CrPC (1973)	BNSS (2023)	मुख्य परिवर्तन
जांच की समय-सीमा	कुछ मामलों में अस्पष्ट	आरोप-पत्र दायर करने के लिए 90 दिन की समय-सीमा	**समयबद्ध मुकदमे का तंत्र**
पीड़ितों के अधिकार	सीमित, जमानत चरण में सुनवाई का अधिकार नहीं	जमानत चरण में सुनवाई का अधिकार (धारा 479)	**पीड़ित-केंद्रित न्याय**
फोरेंसिक जांच	विवेकाधीन	सात वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य (धारा 176)	**बेहतर साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित करना**
गिरफ्तारी प्रक्रिया	धारा 41	धारा 35	**नए सुरक्षा उपायों के साथ पुनर्गठित**
पुलिस हिरासत	मजिस्ट्रेट 15 दिन तक बढ़ा सकता था	15 दिन की हिरासत को 40/60 दिन की न्यायिक हिरासत के शुरुआती दिनों में टुकड़ों में लिया जा सकता है	**हिरासत और जमानत की प्रक्रिया को जटिल बनाना**

प्रमुख प्रक्रियात्मक अंतर और नवाचार

- **ई-एफआईआर और डिजिटल संचार:** BNSS इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान करता है, और जीरो एफआईआर को भी कानूनी मान्यता देता है। समन और कानूनी कार्यवाही भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है।
- **डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य:** BNSS में 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। यह कानून डिजिटल साक्ष्य, जैसे ईमेल और व्हाट्सएप चैट को कानूनी रूप से स्वीकार्य मानता है।
- **तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग:** BNSS की धारा 105 सभी तलाशी और जब्ती प्रक्रियाओं को ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करना अनिवार्य करती है, जिसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए।
- **विचाराधीन कैदियों की रिहाई और हिरासत:** CrPC के तहत, एक आरोपी को अधिकतम कारावास की आधी अवधि हिरासत में बिताने के बाद रिहा किया जा सकता था। BNSS इसे आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों और एक से अधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों पर लागू नहीं करता है। पुलिस हिरासत 15 दिनों तक हो सकती है, जिसे न्यायिक हिरासत के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में लिया जा सकता है।

BNSS के नए प्रावधानों का गहन विश्लेषण

ट्रायल इन एब्सेंटिया (अनुपस्थिति में मुकदमा)

- BNSS भगोड़े अपराधियों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने का प्रावधान करता है।
- यह उन गंभीर अपराधों पर लागू होता है जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक की कैद, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।
- इस प्रक्रिया के लिए अभियुक्त को "उद्घोषित अपराधी" घोषित किया जाना, आरोप तय होने के बाद 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि, और दो लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी करना अनिवार्य है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत, 'ऑडी अल्ट्राम पार्टम' (दूसरे पक्ष को भी सुना जाए), का उल्लंघन कर सकता है।

पीड़ितों के अधिकार और संरक्षण

- BNSS में पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली में एक प्रमुख हितधारक के रूप में मान्यता दी गई है।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार और चिकित्सा देखभाल का प्रावधान है।
- पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की स्थिति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है।
- BNSS की धारा 396 के तहत, राज्य सरकारों को पीड़ित मुआवजा योजना स्थापित करनी होगी, जिसमें अपराधी की पहचान न होने पर भी मुआवजे का प्रावधान है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और विशेषज्ञों की राय

- **तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:**
  - कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक समन्वय और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
  - कई अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी बाधा है।
  - पुलिस अक्सर तलाशी और जब्ती के लिए व्यक्तिगत मोबाइल फोन का उपयोग करती है, जो साक्ष्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है।
- **कानूनी और प्रक्रियात्मक अस्पष्टताएँ:**
  - BNSS में पुलिस हिरासत की अवधि (15 दिनों को टुकड़ों में लेना) और हथकड़ी के उपयोग से संबंधित प्रावधानों पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत हैं।

- कानून में इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर और सामुदायिक सेवा के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव है, जिससे व्याख्या और कार्यान्वयन में विसंगतियां हो सकती हैं ।
- BNSS जांच और मुकदमे के लिए सख्त समय-सीमाएं निर्धारित करता है , लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह न्यायिक रिक्तियों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी मूल समस्याओं का समाधान नहीं करता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	परिभाषाएं	2	परिभाषाएं
3	निर्देशों का अर्थ लगाना	3	निर्देशों का अर्थ लगाना
4	भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण	4	भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण
5	व्यावृत्ति(saving)	5	व्यावृत्ति(saving)
6	दण्ड न्यायालयों के वर्ग	6	दण्ड न्यायालयों के वर्ग
7	प्रादेशिक खण्ड	7	प्रादेशिक खण्ड
8	महानगर क्षेत्र	-	हटायी गयी
9	सेशन न्यायालय	8	सेशन न्यायालय
10	सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना	-	हटायी गयी
11	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	9	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
12	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि	10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि
13	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
14	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	12	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
15	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	13	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	-	हटायी गयी
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट	-	हटायी गयी
18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट	-	हटायी गयी
19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	-	हटायी गयी
20	कार्यपालक मजिस्ट्रेट	14	कार्यपालक मजिस्ट्रेट
21	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट	15	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
22	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	16	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
23	23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	17	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
24	24 लोक अभियोजक	18	लोक अभियोजक
25	25 सहायक लोक अभियोजक	19	सहायक लोक अभियोजक
25 क	25क अभियोजन निदेशालय	20	अभियोजन निदेशालय
26	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं	21	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं।
27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता	-----	हटायी गयी
28	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे	22	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे

29	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे	23	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे
30	जुर्माना देने में व्यतिक्रम (चूक) होने पर कारावास का दण्डादेश	24	जुर्माना देने में व्यतिक्रम (चूक) होने पर कारावास का दण्डादेश
31	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश	25	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश
32	शक्तियां प्रदान करने का ढंग	26	शक्तियां प्रदान करने का ढंग
33	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां	27	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां
34	शक्तियों को वापस लेना	28	शक्तियों को वापस लेना
35	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों (successors) द्वारा प्रयोग किया जा सकना	29	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों (successors) द्वारा प्रयोग किया जा सकना
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां	30	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां
37	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी	31	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी
38	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता को वारण्ट का निष्पादन कर रहा है।	32	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता को वारण्ट का निष्पादन कर रहा है
39	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना	33	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना
40	ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय (certain) रिपोर्ट करने का कर्तव्य	34	ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय (certain) रिपोर्ट करने का कर्तव्य
41	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी	35(1)/(2)	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर
41क	पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना	35(3) से 35(6)	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी
41ख	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने । वाले अधिकारी के कर्तव्य	36	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
41ग	जिले में नियंत्रण कक्ष	37	पदाभिहित (Designated) पुलिस अधिकारी
41घ	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार	38	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी	39	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
43	प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया	40	प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया
44	मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी	41	मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
45	सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण	42	सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण
46	गिरफ्तारी कैसी की जाएगी	43	गिरफ्तारी कैसी की जाएगी
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।	44	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	अन्य अधिकारिताओं (jurisdictions) अपराधियों का पीछा करना मे	45	अन्य अधिकारिताओं (jurisdictions) अपराधियों का पीछा करना मे
49	अनावश्यक अवरोध न करना	46	अनावश्यक अवरोध न करना

अध्याय – 7

यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

- **Traffic Rules:** यातायात के नियम सांकेतिक चिन्ह के बारे में अपने कही ना कही जरूर सुना होगा है। या फिर जब भी आप Road पर गाड़ी चालते है, तो आपके सामने सड़क के किनारे पर कई Traffic Signal Sign आये होंगे। जिसमे से आधे Traffic Symbols या चिन्हो के बारे में तो आपको पता होता है। लेकिन आधे के बारे में नहीं पता होता है।
- यातायात के नियम के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। Indian Government ने Road Safety के लिए बहुत सारे नियम बनाये है। जिनका पालन करते हुए अगर हम वाहन चलाते है, तो सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना नहीं रहती है। लेकिन अगर हम Traffic Rules का उल्लघन करते है, तो ऐसे में सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को गाड़ी चलने की अनुमति है, लेकिन लोग इस बात का पालन नहीं करते है, और बच्चों को गाड़ी दे देते है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि छोटे बच्चो को यातायात के नियम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अगर गाड़ी Drive करते समय बच्चो के सामने किसी तरह का Traffic Signs आता भी है, तो इन्हे इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण यह आगे बढ़ जाते है।
- उदहारण के लिए मान लीजिये रस्ते में आगे सड़क बंद है, इस तरह का कोई Road Safety Symbols आता है, तो आइए में बच्चो को इसके बारे में पता नहीं होता है, और वह आगे जाकर दुर्घटना का शिकार हो जाते है। आज के इस लेख Yatayat ke Niyam में आपको सम्पूर्ण जानकारी मिलने वाली है।

भारत में यातायात के नियम :-

आपको Traffic Rules Symbols के बारे में जाने से पहले Basic Traffic Rules के बारे में जाना बहुत जरुरी है। क्योंकि सबसे पहले आपको Driving करते समय Basic नियमो का पालन करना बहुत जरुरी है। जिससे आपके गाड़ी चलने का अनुभव बेहतर होगा। तो आइये जानते है Basic Traffic Rules क्या है –

- यातायात का सबसे पहला और Basic Rules यह है, की आप हमेशा Driving करने से पहले Seat Belt और Helmet का उपयोग जरूर करें। इससे आप चालान से भी बचेंगे, और गाड़ी के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे।
- कोई चौराहा या मोड़ आने पर अपनी गाड़ी की गति धीमे कर लें, भड़ भाड़ या बाजार वाली जगह में भी गाड़ी को धीरे चलाएं।
- अपनी गाड़ी को हमेशा पार्किंग में अच्छी तरह से लगाएं। जिससे की किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी गाड़ी निकालने में किसी तरह की कोई समस्यां ना हों।
- कभी भी No Parking वाली जगह पर गाड़ी पार्किंग में लगाएं। ऐसे में आपको समस्यां हो सकती है।
- कभी भी बिना वजह हॉर्न ना बजाएं। क्योंकि आपके हॉर्न बजने से जाम जल्दी नहीं खुलेगा। बाकि इससे ध्वनि प्रदुषण फैलता है। इसके अलावा सामने वाले व्यक्ति को भी समस्यां होती है। जाम लगने के समय थोड़ा धीरज रखने जल्दबाजी ना करें।
- कभी भी Driving के दौरान सामने वाले वाहन से रेस ना करें। इससे सड़क दुर्घटना हो सकती है। आप अपनी गति को यातायात के नियम के अनुसार चलाएं। अगर आप सामने वाले वाहन से रेस करके ओवेरटेक करने की कोशिश करते है, तो ऐसे में दोनों को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है।
- कभी भी आप गाड़ी मोड़ने के चक्कर में गलत साइड में गाड़ी ना चलाएं। ऐसा करना आपके लिए भरी पड़ सकता है। ऐसे में आप कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी को मोड़ सकते है।
- अगर कभी सड़क पर जाम लग जाता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जाते है, जहाँ पर सभी गाड़ियां एक लेन में चल रही है, तो ऐसे में आपको भी यातायात के नियम का पालन करते हुए लें को तोड़ना नहीं चाहिए।
- अगर आप कही बहुत जल्दी में जा रहें है, और आपके सामने पूरी सड़क खाली पड़ी है, तो ऐसे में खाली सड़क देखर गाड़ी की Speed न बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी जगह पर School के बच्चे Road पर कर रहे होते है। अगर कोई अचानक से रोड को पार करते हुए आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो इससे दुर्घटना हो सकती है।
- वाहन चलते समय अगर आपके पीछे कोई एम्बुलेंस है, तो उसे सबसे पहले रास्ता दें।
- इन सभी यातायात के नियम के अलावा Basic Traffic Rules यह है, की आपको हमेशा अपना Driver License साथ में रखकर वाहन चलना चाहिए। इसके अलावा वाहन के भी सभी जरुरी Documents को अपने साथ रखे। अगर कोई Document Expire होने वाला है, तो उसे जल्द से जल्द Renew कराएं।

भारत में यातायात के मुख्य संकेत -

भारत में यातायात के नियमो का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार ने सभी Traffic Rules को बहुत सोच समझकर बनाया है। जिससे की नागरिक सुरक्षित रहें। इन्ही में से बहुत महत्वपूर्ण Traffic Signal है, Light Signal जो आपने चौराहों पर लगे हुए जरूर देखें होंगे। जिसमे तीन रंग की लाइट होती है, लाल लाइट, पीली लाइट, और हरी लाइट। तो आइये जानते है, Traffic Light Signals हमें क्या बताते है –

- ***Red Light*** – यातायात के इन तीन मुख्य Rules में से सबसे पहली लाइट होती है लाल। लाल लाइट का मतलब होता है, रुकना। अगर आप किसी चौराहे या सड़क पर लाल लाइट को जलता हुआ देखते है, तो इसका मतलब है, की आपको उस समय तक रुकना है, जब तक लाल लाइट जल रही है।
- ***Yellow Light*** – जब पीली लाइट जल जाती है, तो इसका मतलब होता चलने के लिए तैयार हो जाइये। जब आप लाल लाइट पर रुकते है , तो इसके बाद पीली लाइट जलने पर चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
- ***Green Light*** – हरी लाइट जलने पर आपको चलना चाहिए। जब पीली लाइट के बाद हरी लाइट जल्दी है, तो इसका मतलब होता है, की आपको अब चलना चाहिए। अगर आप यातायात के इन नियमों का पालन करते है, तो कई दुर्घटना से बच सकते है।

मोटर यां अधिनियम 1988 (Motor vehicle Act 1988)

- मोटर यान अधिनियम में कुल 217 धाराएं हैं ।
- इस अधिनियम की धारा 3 में मोटर चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है का उल्लेख है ।
- मोटर यान अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चलाने पर प्रतिबंध है ।
- धारा 4 (1) के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सी.सी. तक इंजन क्षमता धारण करने वाली मोटर साइकिल चलाने पर प्रतिबंध नही है ।
- धारा 128/177 के तहत मोटर गाड़ी पर 3 सवारी बिठाना मोटर यान अधिनियम के तहत कानूनन अपराध है ।
- धारा 129/177 के तहत मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट न पहनना मोटर यान अधिनियम के तहत कानूनन अपराध है ।
- इस अधिनियम की धारा 134 में दुर्घटना और किसी व्यक्ति को क्षति की दशा में ड्राइवर के कर्तव्यों का वर्णन है ।
- धारा 123 के तहत चलती गाड़ी के फुट बोर्ड पर यात्रा करना धारा 123 का उल्लंघन करना है ।
- धारा 119 में वाहन चालकों द्वारा यातायात चिह्नों के पालन करने का उल्लेख करता है ।
- धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान धारा 183 में किया गया है ।
- धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटर गाड़ी चलाने पर 1000 से कम नहीं किन्तु 2000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है ।
- धारा 189 के अंतर्गत राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर गाड़ी को किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करना कानूनन अपराध है ।
- धारा 189 के तहत 3 माह तक कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों और पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक वर्ष तक कारावास या 10000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दण्डनीय होगा ।
- खतरनाक तरीके से मोटर गाड़ी चलाना धारा 184 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है ।
- धारा-194 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन वाले यान को चलाने पर धारा 194 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा ।
- इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर धारा 177 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है ।
- जो कोई मादक द्रव पदार्थ के असर में इस हद तक है या श्वास विश्लेषक द्वारा किए गए परिक्षण में 100 एम.एल.में 30 एम.एल. अल्कोहल पाए जाने पर धारा 185 के अधीन दण्डनीय है । प्रथम अपराध के लिए 6 माह तक कारावास या 10000 रुपये जुर्माना या दोनों और पश्चातवर्ती अपराध के लिए दो वर्ष तक कारावास या 15000 रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय है ।
- धारा-203 में में किसी ड्राइवर का श्वास परीक्षण कराए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है ।
- धारा-207 में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र या परमिट के बिना उपयोग किए गए वाहनों को निरुद्ध करने का उल्लेख किया गया है ।
- धारा-130/177 के तहत किसी मोटर चालक द्वारा उसका लाइसेंस या गाड़ी के कागजात मांगने पर पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना कानून के तहत दण्डनीय अपराध है ।
- धारा-202 के तहत कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है ।
- धारा-124/178 अंतर्गत रोडवेज की बस में बिना किराये टिकट के यात्रा करना अपराध है ।
- किसी मोटर चालक की अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद भी गाड़ी चालते रहना धारा 3/181 के अंतर्गत दण्डनीय (3 माह तक के कारावास या 5000 रुपये जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है ।
- धारा-206 के तहत किसी पुलिस अधिकारी को दस्तावेज परिबद्ध करने का अधिकार है ।
- धारा 128/194 (ग) के अंतर्गत चालक द्वारा अपनी पिछली सित पर 2 सवारी बिठाना दण्डनीय अपराध है ।
- धारा-146/196 के तहत बिना बीमा कराए गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है कानून का उल्लंघन करना है ।
- एक मोटर कार वाला ड्राइवर एक स्कूटर या मोटर साइकिल सवार को टक्कर मारकर भाग जाता है तो वह धारा 134/179 का अपराधी है ।
- कोई मोटर गाड़ी वाला मलिक अपनी गाड़ी को किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास ड्राइविंग

वन नीति

26 दिसंबर 1998 ई. को राज्य सरकार द्वारा 'राज्य वन नीति' घोषित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता व परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखना है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला	सोनभद्र
न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला	संत रविदास नगर
राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
टाइगर्स रिजर्व	दुधवा और पीलीभीत
प्राणी उद्यान	लखनऊ और कानपुर
राज्य का प्रथम पक्षी विहार	नवाबगंज पक्षी विहार
राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार	लाख बहोशी पक्षी विहार
राज का सबसे छोटा पक्षी बिहार	पटना पक्षी विहार
राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार	चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार
राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार
हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित	'प्रोजेक्ट एलीफेंट' 1992 में शुरू की गई
'एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना है	सहारनपुर और बिजनौर में

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार व प्राणी उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव व पक्षी विहार, प्राणी उद्यान का नाम	जनपद एवं क्षेत्रफल	स्थापना वर्ष	पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव पक्षी
1. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	लखीमपुर खीरी (490 वर्ग किमी)	1977	बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ,अजगर, सांभ, चीतल, पांडा , काकड़, बारहसिंघा, गैंडा भालू।
2.चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार	चंदौली (78 वर्ग किमी)	1997	तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, चीतल, सांभर, लकड़बग्घा, गीदड़, भेड़िया सेही, भालू ।
3. किशनपुर वन्य जीव विहार	लखीमपुर खीरी (204 वर्ग किमी)	1972	तेंदुआ, बाघ, बारहसिंघा, चीतल, पांडा, जंगली सूअर, गीदड़, सेही,लंगूर तथा बंदर एवं विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी आदि।
4. कर्तनियाघाट वन्यजीव बिहार	बहराइच (400 वर्ग किमी)	1976	तेंदुआ, बाघ, बारहसिंघा, चीतल, पांडा,काला मुर्गा, नीलगाय, गैंडा, घड़ियाल, मगर, जंगली सूअर, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर एवं विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी आदि।
5. रानीपुर वन्य जीव विहार	बांदा व चित्रकूट (230 वर्ग किमी)	1977	तेंदुआ, बाघ, सांभर, चीतल, नील गाय, जंगली सूअर, काला मृग, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर, एवं धर्मेंद्र स्थानीय प्रवासी पक्षी आदि।
6. महावीर स्वामी वन्य जीव विहार	ललितपुर (5.4वर्ग किमी)	1977	काला, मुर्गा, नीलगाय, जंगली सूअर, लंगूर, तथा बंदर एवं विभिन्न पक्षी आदि
7.राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार	आगरा इटावा 635 वर्ग किमी	1979	घड़ियाल, मगर , गेन्गेटिक डॉल्फिन, विभिन्न कछुए, ऊदबिलाव, लकड़बग्घा, गीदड़, गोह,चिकारा, जंगली सूअर, सांभर, काला हिरण, एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNIc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्तूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

FREE SAMPLE

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
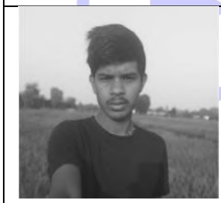	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
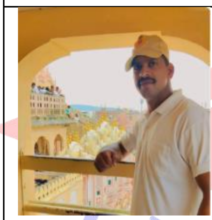	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others……

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – **https://wa.link/001xtz**

Online order करें – **https://shorturl.at/sxD46**

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE